भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1951
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

स्मार्ट मीटरों की स्थापना संबंधी लक्ष्य

1951. श्री विष्णु दयाल रामः
श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्मार्ट मीटरों के प्रयोजनार्थ इस योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल परिव्यय और अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता कितनी है;

(ख) स्मार्ट मीटरों की जून 2025 तक स्थापित और स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ग) 2025 तक स्थापित किए जाने वाले स्मार्ट मीटरों की लक्षित संख्या कितनी है; और

(घ) क्या समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत भारत सरकार से 24,173 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के साथ 1,30,671 करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

(ख) और (ग) : अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत कुल 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2.45 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। संस्वीकृत स्मार्ट मीटरों की संस्थापना स्कीम अवधि (मार्च 2028) के अंत तक पूरी की जानी है।

(घ) : भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से विद्युत वितरण कम्पनियों को उनके समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में सुधार के लिए सहायता प्रदान कर रही है। कुछ प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

i. वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) शुरू की गई। इस स्कीम का उद्देश्य एटीएंडसी हानि को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य पर लाना है। इस स्कीम के तहत 2.82 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। इनमें 1.51 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना के कार्य शामिल हैं जिनमें कवर किए गए कंडक्टरों के साथ बेयर कंडक्टरों को बदलना, लो टेंशन एरियल बंच्ड (एलटी एबी) केबल बिछाना और वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) / सब-स्टेशनों का उन्नयन / वृद्धि आदि शामिल हैं। स्कीम के तहत धनराशि जारी किया जाना विभिन्न वित्तीय मापदंडों के निमित्त वितरण यूटिलिटियों के निष्पादन से जोड़ा गया है, जिनमें से एटीएंडसी हनियाँ और एसीएस-एआरआर अंतर प्रमुख हैं। इन कार्यों के क्रियान्वयन से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग भी आरडीएसएस के तहत परिकल्पित महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में एक है, जिससे एटीएंडसी हानियों में सुधार करने में मदद मिलेगी।

ii. राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति, जो उन पर विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने की शर्त पर है।

iii. राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण संस्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड, जो निर्धारित शर्तों के अनुसार विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन पर निर्भर होगा।

iv. एफपीपीसीए और लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के नियम जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत आपूर्ति की सभी विवेकपूर्ण लागतें वहनीय हैं।

v. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों और किए गए सुधार उपायों से, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी का एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 16.12% हो गई है।

****